निविदा कमांक .....

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय

880, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

विपणन संघ

रासायनिक उर्वरक के परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष 2014–15

निविदा विक्रय करने का अंतिम दिनांक – 31.3.2014

समय – दोपहर 12:00 बजे तक

निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक – 31.3.2014

समय – अपरान्ह 3:00 बजे तक

निविदा खोलने का दिनांक – 31.3.2014

समय – अपरान्ह 4:00 बजे

मूल्य – 2100/– रूपये (कर सहित)

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

880, सिविल लाईन्स मुख्यालय, रायपुर (छ0ग0)

रासायनिक खाद के परिवहन कार्य हेतु निविदा वर्ष 2014–15

सरल क्रमांक .....

1. निविदाकर्ता का नाम व पता एवं मोबाइल नं. व फैक्स नं.	श्री/सुश्री ....
2. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता	.....
3. जिला का नाम	.....
4. जिले में स्थित रेक प्वाइन्ट का नाम जिसके लिए निविदा भरी जा रही है।	.....
5. निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 2100.00 (वाणिज्यिक कर सहित) (अक्षरी दो हजार एक सौ रूपये मात्र)
6. निविदा फार्म क्रय की जानकारी	मनी रसीद नंबर ..... दिनांक .....
7. निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 31.03.2014 को अपरान्ह 3.00 बजे तक।
8. निविदा खोले जाने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 31.03.2014 को अपरान्ह 4.00 बजे स्थान – संबंधित जिला कार्यालय .....

टिप्पणी :–

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बॉक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

क्रमश.....2

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ. राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय का रसायनिक खाद के परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। निम्नानुसार नियमों एवं शर्तो का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्ते निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग है।

1. **विपणन संघ के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही दो सीलबंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग''क'') एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (निविदा दस्तावेज का भाग''ख'') अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा:–**

1.1 प्रत्येक रेक प्वाइन्ट हेतु पृथक–पृथक अमानत राशि ली जाएगी एवं पृथक–पृथक निविदा भरी जाएगी। एक परिवहनकर्ता एक से अधिक रेक प्वाइन्ट हेतु निविदा भर सकता है।

1.2 जिस जिले में रेक प्वाइन्ट हेतु निविदा भरी जा रही है, उसी जिले से निविदा प्रपत्र क्रय कर उसी जिले में ही जमा कराया जाना आवश्यक होगा। एक जिले से क्रय निविदा प्रपत्र पर दूसरे जिले हेतु निविदा नहीं भरी जा सकेगी।

1.3 निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी लिफाफा में संलग्न करें:–

1. निर्धारित अमानत राशि का छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, (छ.ग0) के नाम से देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर प्रस्तुत करें।
2. निविदाकार के पास स्वयं के कम से कम दो ट्रकों के रजिस्ट्रेशन एवं फिटनेस संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकार यदि कंपनी है तो, उसके पार्षद सीमा नियम, पार्षद अन्तर नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निगमन का प्रमाण–पत्र। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र अथवा मुख्तयारनामा नोटरी द्वारा सत्यापित।
5. आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत दो वर्षो की आयकर विवरण की सत्यप्रतिलिपि।
6. बैंक स्टेटमेंट 01 अप्रैल 2013 से 28 फरवरी 2014 तक का।
7. निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित इकरारनामा।

1.4 निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र में ही अपनी निविदा निविदाकार के इकरारनामा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र तथा निविदाकार का इकरारनामा संबंधित जिला कार्यालय, विपणन संघ से रूपये 2100/– (दो हजार एक सौ रूपये) जमा कर दिनांक 1.3.2014 से दिनांक 31.3.2014 तक किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालयीन समय में क्रय किये जा सकते है। प्रत्येक रेक प्वाईन्ट के लिए अलग– अलग निविदाएं प्रस्तुत करनी होगी।

.....3

1.5 निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व संबंधित जिले के रेक प्वाइन्ट भंडारण केन्द्रों से विपणन संघ के अन्य भंडारण केन्द्रों तक परिवहन करने के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये, दर स्वीकृति उपरान्त उक्त आधारों पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षा है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

1.6 निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का इकरारनामा एवं अन्य समस्त दस्तावेज प्राप्त कर लिया है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

1.7 निविदाकार से अपेक्षित है कि, वह संबंधित मार्ग का भी अध्ययन कर लें। यदि किसी कारणवश नियमित/प्रचलित मार्ग बंद रहता है तो परिवर्तित मार्ग से परिवहन किये जाने पर कोई अतिरिक्त व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1.8 भंडारण केन्द्र/जिला कार्यालय पर अपना सम्पर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम, पता, मोबाईल नंबर, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र अनुबंध के साथ प्रमाणित कर संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा उसके भविष्यनिधि उपादान अन्य समस्त वैधानिक दायित्वों आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

1.9 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी लिफाफा में निविदा दस्तावेज के भाग 'क' सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।

1.10 निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों पर निविदकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

2. निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देशः–

2.1 निविदाकार निविदा फार्म निरंतर एवं विधिवत् पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा फार्म सेट (2 पुस्तिका का सेट) मूल्य 2100/– रूपये (वाणिज्य कर सहित) होगा। जो संबंधित जिला कार्यालय में नगद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा कर क्रय किया जा सकता है।

2.2 दरें :–

निविदा फार्म में दी जाने वाली दरें रसायनिक खाद के परिवहन हेतु प्रति टन प्रति कि.मी. लोडिंग/अनलोडिंग सहित होगी किन्तु लोडिंग/अनलोडिंग दरें अलग से दर्शानी होगी। दरें अंको तथा शब्दों दोनों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ–साफ लिखा जाना चाहिए।

2.3 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

2.4 एक से अधिक रेक प्वाईन्ट भंडारण केन्द्रों की निविदा संबंधित जिलों को दी जा सकती है, परन्तु इस हेतु ट्रक नंबर की पुनरावृत्ति (रिपिटेशन) मान्य नहीं किया जावेगा। एक ही ट्रक नंबर को एक से अधिक जिले के लिए निविदा प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जाएगी एवं न्यूनतम दर वाले किसी एक जिले को छोड़कर शेष जिले में जमा अमानत राशि विपणन संघ द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

.....4

3. अमानत राशिः—

3.1 प्रत्येक जिले की प्रत्येक रेक प्वाईन्ट हेतु पृथक—पृथक निविदा के साथ निम्नानुसार पृथक—पृथक अमानत राशि के डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर संलग्न करना आवश्यक है, जो छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित .....(जिला कार्यालय का नाम) के नाम से देय होगा।

क्र.	जिले का नाम	रेक प्वाइन्ट	अमानत राशि रेक प्वाइन्ट हेतु पृथक—पृथक (लाख रूपये में)
1	रायपुर	मंदिर हसौद	0.25
		तिल्दा	0.25
2	बलौदाबाजार—भाटापारा	भाटापारा	0.25
3	महासमुंद	महासमुंद	0.25
		बागबाहरा	0.25
4	दुर्ग	दुर्ग	0.25
5	बालोद	बालोद	0.25
6	राजनांदगांव	राजनांदगांव	0.25
7	बिलासपुर	बिलासपुर	0.25
8	जांजगीर	नैला/जांजगीर	0.25
		अकलतरा	0.25
		बाराद्वार	0.25
9	रायगढ़	खरसिया	0.25
		रायगढ़	0.25
10	सूरजपुर	विश्रामपुर	0.25
11	बस्तर	जगदलपुर	0.25

उपरोक्त राशि का अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संबंधित जिला कार्यालय के निविदा के साथ दर्शाई राशि के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य है।

3.2 पूर्व कंडिका (1.3) के अनुसार बिना वांछित दस्तावेज के प्रस्तुत निविदा को अमान्य माना जाएगा।

3.3 यदि निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के बाद रासायनिक खाद परिवहन कार्य करने में असमर्थ रहता है या मना करता है या उसकी शर्तो तथा नियमों में संशोधन करता है तो अमानत राशि स्वयमेव ही जप्त हो जावेगी।

3.4 निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृति होने के पश्चात् वांछित अभिलेख एवं निर्धारित सुरक्षानिधि जमा करने में असफल होने की स्थिति में अमानत राशि विपणन संघ के हित में जप्त हो जावेगी। ऐसी जप्ती की सूचना विपणन संघ को पृथक से निविदाकार को देना आवश्यक नहीं होगा।

.....5

3.5 असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि दर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

3.6 सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 2 (दो) वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेंगे।
पूर्व में काली सूची में डाले गए बकायादार/परिवहनकर्ता भाग नहीं ले सकेंगे।

4. निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :–

4.1 निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा/कर रहे व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि, वे किस हैसियत से निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। फर्म के भागीदार फर्म होने की स्थिति में निविदा फार्म में समस्त भागीदारों के नाम का उल्लेख किया जाना है एवं निविदा पर समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें अथवा सभी भागीदारों द्वारा संबंधित भागीदार के पत्र में जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि निविदाकार एक कंपनी है तो उसके संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यप्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने वाले संचालक के पत्र के अधिकार पत्र जिस हैसियत से निविदाकार निविदा में हस्ताक्षर कर रहा हो उसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. निविदा निष्पादित करना :–

5.1 विपणन संघ के इकाई द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर तीन दिन (अधिकतम एक सप्ताह) की अवधि में निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर विपणन संघ द्वारा निर्धारित संविदा 50.00 रूपये (पचास रूपये) के नान ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पर वांछित कागजात के साथ विपणन संघ के जिला कार्यालय में इकरारनामा निष्पादित करना आवश्यक होगा। इसका निर्धारित प्रारूप संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अ. फर्म/कंपनी के पंजीयन फर्म की सत्यप्रतिलिपि।
ब. आयकर जमा करने की सत्यप्रतिलिपि।
स. सर्विस टैक्स।
द. पी.एफ. का कोड नंबर।
इ. फर्म/कंपनी संरचना विलेख।
फ. परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य के लिए नियोजित/प्राधिकृत श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम एवं पते की सूची जिला विपणन अधिकारी को सौंपेगा।

5.2 सुरक्षानिधिः–

1. सफल निविदाकार को संबंधित जिले के प्रत्येक संग्रहण केन्द्र के लिये निम्नानुसार सुरक्षानिधि अमानत राशि के अतिरिक्त देनी होगी। सुरक्षानिधि किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी /एफ.डी.आर. दिनांक **31.3.2015** तक की वैधता अवधि के लिए प्रस्तुत करनी होगी, जिसे परिवहन की अवधि कंडिका 7.9 के अनुसार बढ़ाये जाने पर तदनुसार वैधता बढ़ानी होगी।

.....6

क्र.	जिले का नाम	रेक प्वाइन्ट	सुरक्षानिधि की राशि रेक प्वाइन्ट भंडारण केन्द्र हेतु (लाख रूपये में)
1	रायपुर	मंदिर हसौद	2.00
		तिल्दा	2.00
2	बलौदाबाजार–भाटापारा	भाटापारा	2.00
3	महासमुंद	महासमुंद	2.00
		बागबाहरा	2.00
4	दुर्ग	दुर्ग	2.00
5	बालोद	बालोद	2.00
6	राजनांदगांव	राजनांदगांव	2.00
7	बिलासपुर	बिलासपुर	2.00
8	जांजगीर	नैला / जांजगीर	2.00
		अकलतरा	2.00
		बाराद्वार	2.00
9	रायगढ़	खरसिया	2.00
		रायगढ़	2.00
10	सूरजपुर	विश्रामपुर	2.00
11	बस्तर	जगदलपुर	2.00

5.3 सफल निविदाकार द्वारा तीन दिन (अधिकतम एक सप्ताह) में इकरारनामा 50 रू. पचास रूपये के नान ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पेपर पर वांछित अभिलेख एवं सुरक्षानिधि के साथ संपादित करना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर अमानत राशि जप्त मानी जावेगी।

6. <u>नाममात्र सदस्यता प्राप्त करना:–</u>

सफल परिवहनकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ.ग. राज्य सहाकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणन संघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा, **<u>जो 1010 रू. (एक हजार दस रू.) की होगी।</u>**

7. <u>विविध:–</u>

7.1 विपणन संघ द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध रहते हुए भी अनुबंधित कार्य हेतु विभागीय रूप से भी कार्य करने पर विचार किया जा सकता है तथा निविदाकार द्वारा स्वीकृत दरों पर संतोषप्रद परिवहन कार्य नहीं करता है तो विपणन संघ के जिला कार्यालयो को यह अधिकार होगा कि वे बाजार में उपलब्ध दरों पर अन्य परिवहनकर्ता से कार्य करा ले तथा इस पर अधिक भुगतान की गई राशि निविदाकार के प्रतिभूति राशि एवं देयकों से काट ली जावे।

7.2 विपणन संघ द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध रहते हुये भी जिला विपणन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि जिले में परिवहन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत न्यूनतम दरों पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य किसी संग्रहण केन्द्र में कराया जा सकता है, इसमें अनुबंधित निविदाकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

.....7

7.3 किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार गठित निविदा समिति/प्रबंध संचालक, विपणन संघ को होगा।

7.4 निविदाकार को निविदा में कोई शर्त सम्मिलित नहीं करनी है, क्योंकि सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगा। एक बार निविदा खोलने के पश्चात् निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।

7.5 निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तो एवं कार्य पद्धति कार्य की महत्ता आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

7.6 निविदाकार द्वारा परिवहन हेतु दरें लोडिंग/अनलोडिंग शामिल कर प्रस्तुत की जाये। निविदा पर विचार कुल दर पर किया जाएगा न कि, परिवहन और लोडिंग/अनलोडिंग की पृथक–पृथक दर पर। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर शामिल होगें। आयकर एवं अन्य करों की स्त्रोत पर कटौती प्रचलित नियमानुसार की जाएगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार के करों अथवा अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वों के भुगतान में अथवा पालन में लापरवाही बरती जाती है तो विपणन संघ को अधिकार होगा कि ऐसे सभी उत्तरदायित्वों के पेटे भुगतान की गई राशि की सफल निविदाकार से किसी भी प्रकार की देय राशि से वसूल कर लें।

7.7 परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयकों से सर्विस टैक्स जो मार्कफेड को भुगतान करना पड़ेगा, की कटौती की जायेगी।

7.8 निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा की गयी अमानत राशि अथवा किसी प्रकार की राशि वर्तमान निविदा के लिए मान्य नहीं होगी तथा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

7.9 निविदा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक वैध रहेगी। कार्य की अवधि विपणन संघ द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

7.10 संविदा की अवधि में परिवहन हेतु कोई निश्चित कार्य एवं मात्रा देने की गारंटी विपणन संघ की नहीं रहेगी।

7.11 इकरारनामा निष्पादित करते समय सफल निविदाकर्ता को सुरक्षानिधि के रूप में निर्धारित राशि निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर. संबंधित जिले के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर विपणन संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

7.12 सफल निविदाकार को संबंधित इकाई से लिखित, मौखिक, दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् बताये गये कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा। अनुबंधित परिवहनकर्ता को जिले में रेक प्वाइन्टों में दर्शित खाद का परिवहन निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। परिवहनकर्ता का यह भी दायित्व होगा कि वह रेक प्वाइन्टों से संपर्क कर खाद परिवहन का कार्य संपादित करें।

.....8

7.13 जिला विपणन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त निविदाओं को जिला स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा तथा निगोशियेशन हेतु सर्वप्रथम न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को आमंत्रित किया जायेगा। इसकी जानकारी संबंधित जिला विपणन अधिकारी द्वारा निविदाकार को दी जावेगी।

7.14 प्रत्येक रेक प्वाइन्टों के लिये रसायनिक खाद परिवहन लोडिंग/अनलोडिंग की स्वीकृत दरें अनुसार ही लागू होगी।

7.15 सफल निविदाकार को अनुबंध संबंधित परिवहन इत्यादि कार्य करने पर प्रत्येक सप्ताह में अपना बिल संबंधित जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

7.16 परिवहनकर्ता के पास स्वयं का कम से कम दो ट्रक होना अनिवार्य है। इससे अधिक स्वयं की ट्रकों की जानकारी भी निविदा में दें। इसके अतिरिक्त जो ट्रकें उनसे संबद्ध होंगें उनकी सूची इकाई प्रमुख अथवा जिला विपणन अधिकारी जिसके क्षेत्र में कार्य किया जाना है उसे लिखित में अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा तथा उन्हीं ट्रकों से परिवहन कार्य कराया जावेगा।

8 कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्वः–

8.1 रासायनिक खाद उतराई छल्ली लगाने के लिए क्रमशः उतराई करने वाले एवं छल्ली लगाने वाले श्रमिको/ हमालों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

8.2 यह आवश्यक होगा कि अनुबंध करने के पूर्व सफल निविदाकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार को प्रचलित सभी अधिनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति पत्र लेकर संबंधित जिला कार्यालय में देना होगा, कार्य समाप्त होने पर सफल निविदाकार को संबंधित जिले में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत नो–ड्यूस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उसके उपरान्त ही अमानत राशि का भुगतान हो पायेगा। यदि कार्य समाप्ति या 31.03.2015 तक सफल निविदाकार द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अमानत राशि की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. राजसात की जायेगी।

8.3 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेगा एवं आवश्यक प्रपत्र/विवरण संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत न करने के परिणाम स्वरूप उद्भूत हुए समस्त दायित्वों के लिए परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

8.4 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि, वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/हमालों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधाएं हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध करावें। इस संबंध में विपणन संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8.5 परिवहनकर्ता उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिको/हमालों के नाम,पता एवं फोटो विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी को अनुबंध के साथ कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करें। यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो वह तत्काल जिला विपणन अधिकारी को सूचित करेगा एवं उनके द्वारा किये गये कार्य एवं व्यवहार के लिए वह उत्तरदायी माना जावेगा।

.....9

8.6 परिवहन कार्य के दौरान घटित किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं निविदाकर्ता का होगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 अथवा कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता पर होगा।

8.7 यदि परिवहनकर्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा किये गये किसी कृत्य की कोई जवाबदारी अथवा कोई भार विपणन संघ को वहन करना पड़ता है तो उस राशि को परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके बिलों में से वसूल किया जायेगा।

8.8 परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टोल टैक्स व अन्य शुल्क प्रभार तथा समय–समय पर अधिरोपित जो भी देय हो, परिवहनकर्ता को स्वयं वहन करना होगा, विपणन संघ द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। आशय यह है कि स्वीकृत दर से अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा।

8.9 संबंधित जिला कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक, विपणन संघ/जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था के तहत परिवहन कार्य में गति लाने हेतु जो भी निर्देश समय–समय पर दिये जाते है इसका पालन करना अनिवार्य होगा।

9 निविदाकार को संघ जिला कार्यालय/इकाई या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की मौखिक या लिखित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रासायनिक खाद परिवहन संबंधित भंडारण केन्द्रों से करनी होगी, इसके लिए आवश्यकतानुसार ट्रक मजदूर हमाल की व्यवस्था परिवहकर्ता की होगी। परिवहन में हुए विलंब के कारण होने वाले डेमेज/नुकसान की संपूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। समय पर ट्रक एवं मजदूर नहीं लगने पर विपणन संघ को अधिकार होगा कि बाजार से ट्रक मजदूर का कार्य किसी भी दर पर कार्य करा लेवें। यदि स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करना पड़ता है तो अधिक दर के कारण हुई हानि (क्षति) की भरपाई निविदाकार तीन दिवस के अंदर नगद जमा करेगा, अन्यथा विपणन संघ को अधिकार होगा कि, वह परिवहनकर्ता के परिवहन बिलों से कटौती करें अथवा उसकी जमा अमानत की राशि से इस राशि को वसूल करें।

10. ट्रक के साथ खाद के लिए आवश्यक संख्या में हमालों एवं मजदूरों के प्रावधान (व्यवस्था) करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी, हमालों का भुगतान निविदाकार द्वारा किया जायेगा। विपणन संघ किसी भी प्रकार का हमाली भुगतान नहीं करेगा।

.....10

11. परिवहनकर्ता द्वारा केवल वही ट्रक खाद ढुलाई हेतु लगाये जावेगें जो सही और अच्छी हालत में हो तथा आर.टी.ओ. से फिटनेश सहित समस्त वैधानिक पूर्ति निविदाकार का उत्तरदायित्व रहेगा।

12. यदि निविदाकार के द्वारा उसके मूल ट्रक में परिवहन के लिए लोड किया गया विपणन संघ का स्कंध समय के अंदर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है या सही हालत में नहीं पहुंचता है, अथवा अन्य प्रकार की हानि होती है वह हानि निविदाकार द्वारा विपणन संघ को तीन दिवस के अंदर देय होगी। विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि वह हानि की राशि की वसूली अमानत राशि/ सुरक्षानिधि की राशि मे से अथवा निविदाकार को लंबित बिलों से अथवा निविदाकार को उक्त हानि की राशि विपणन संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। लोडेड ट्रक का इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

13 विपणन संघ द्वारा निविदाकार को प्रदत्त स्कंध विपणन संघ द्वारा निर्धारित स्थान एवं अधिकृत प्रतिनिधि को ही निविदाकार द्वारा देना होगा और सील व हस्ताक्षर सहित पावती लेनी होगी।

14. निविदाकार के द्वारा भंडारण केन्द्र से स्कंध उसके ट्रक से लोड कर दिये जाने के पश्चात् मार्ग में कही भी उतारा नहीं जावेगा। स्कंध की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार पर होगी।

15. परिवहन के दौरान किसी भी कमी या क्षति हेतु निविदाकार ही उत्तरदायी होगा और उसकी अमानत राशि या देय परिवहन देयकों से यह राशि विपणन संघ वसूल कर लेगा।

16. परिवहन के लिए लगाये गये ट्रक सभी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सही हालत में होना चाहिए। उसकी बीमा होना चाहिए और ट्रक पब्लिक कैरियर लाईसेन्स होना एवं रोड टैक्स, गुडस टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि पटाये जाने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मोटर व्हीकल एक्ट की परिवहन अथवा मोटर संबंधित किसी प्रचलित कानून का उल्लघंन होता हे तो ट्रक परिवहनकर्ता मालिक एवं ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, साथ ही स्कंध के लोड के लिए माल की हानि होती है या उसके गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में विलंब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

17. निविदाकार को परिवहन बिल प्रति सप्ताह प्रस्तुत करना होगा। स्कंध डिलेव्हरी देने के प्रमाण के रूप में जो केन्द्र जहां माल भेजा गया हो, पर नियुक्त विपणन संघ के अधिकृत अभिकर्ता गोदाम कीपर या कोई अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया प्रमाण पावती ही बिल के साथ संलग्न करके देना होगा। जो निविदाकार स्कंध गन्तव्य स्थान पहुंचा देने के पश्चात वहां के कोई अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर लावेगा। इस डिलेव्हरी मेमो पर स्कंध सुरक्षित हालत में डिलेव्हरी कर देने का प्रमाण भी अंकित किया जावेगा, यह पावती प्राप्ति की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। भुगतान विपणन संघ से संबंधित जिला कार्यालय द्वारा बिल प्रस्तुती पर परीक्षण कर किया जाएगा।

.....11

18. निविदाकार को सौंपे गये स्कंध का परिवहन न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से ही करेगा, अत्यावश्यक परिस्थिति में स्कंध का परिवहन अन्य मार्ग से वह तभी कर सकता है, जबकि इस हेतु उसने विपणन संघ से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।

19. यह इकरारनामा दिनांक 31.03.2015 तक वैध होगा। इस अवधि में कार्य नहीं होता अथवा नये निविदा नहीं होता, तो वर्तमान इकरारनामा की अवधि को अधिकतम चार माह हेतु आपसी समझौता से आगे बढ़ाई जा सकती है।

20 निविदाकार अमानत राशि के अतिरिक्त इस इकरारनामा के साथ निर्धारित सुरक्षानिधि जमा कर रहा है।

21. परिवहनकर्ता द्वारा जो ट्रक परिवहन कार्य में लगाये जावेगें उसकी सूची उसी दिन जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा।

22. सभी विवादों और इकरारनामा से वांछित किसी भी शर्तो के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

23. **INTEGRITY PACT**

As per the directions of the finance & planning Department Government of Chhattisgarh vide their latter No.243/Fin/Dir/4/2013 Naya Raipur Date 6th July 2013, an INTEGRITY PACT has to be entered into between MARKFED and the Tenderer/Bidder/Seller/Contractor and the aforesaid pact will be an integral part of the Tender Document. Such Integrity pact has to be mandatorily attached along with the Tender Document. In the event of non-submission/incomplete submission of the INTEGRITY PACT along with the Tender Document, the Tenderer/ Bidder/Seller/Contractor shall be liable for rejection summarily and shall be considered as unresponsive/invalid. A format of INTEGRITY PACT is attached with this Tender Document. The aforesaid pact has to be dully sealed, signed and stamped (on the letterhead of the Tenderer/Bidder/Seller/Contractor) in case if the Tenderer/Bidder/Seller/Contractor is a company/firm by the Authorized signatory/Director/ Partners and to be attached, in all complete respects, along with the Tender Document. Further, this INTEGRITY PACT is deemed to have been signed by the MARKFED.

निविदाकार के हस्ताक्षर

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20 , between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri _____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri _____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the "**BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of..

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the..... (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.



(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of_____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if

any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the

Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The.Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/PRINCIPAL/BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This,Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on .....

BUYER/PRINCIPAL **BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**

Name of the Officer

CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY

Destination

Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ 1) _____

2) _____ 2) _____

भाग – "क"

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

880, सिविल लाईन्स मुख्यालय, रायपुर (छ0ग0)

सरल क्रमांक .....

हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	परिवहनकर्ता की स्वयं की जानकारी
1.	निविदाकार का पूरा नाम व पता	
2.	दूरभाष/मोबाईल क्रमांक/कार्यालय निवास	
3.	निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)	
4.	मुखिया (कर्ता) का नाम व पता	
5.	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) और यदि कंपनी हो तो मार्गदर्शक की सूचना की कंडिका 1(3)(4) में दिए गए प्रपत्र संलग्न करें।	
6.	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)	
7.	क. विगत दो वर्षो की आयकर विवरणी की सत्यप्रति संलग्न करें ख. आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करें	
8.	बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखे)	
9.	स्वयं/फर्म/कंपनी के नाम कितने भारी माल वाहन है ? उनके नंबर (पंजीयन एवं फिटनेस की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)	वाहन का पंजीयन कमांक
10.	निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित इकरारनामा	
11.	लंबी दूरी के परिवहन कार्य का अनुभव कितने वर्षो का है (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
12.	वर्तमान में किस शासकीय/अर्द्धशासकीय/संस्था में परिवहन कार्य कर रहें, विवरण दें	
13.	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण (संलग्न करे)	रूपये कुल..... बैंक ड्राफ्ट नंबर..... बैंक का नाम .....

कमशः ..2

छ.ग. राज्य सह. विपणन संघ मर्या. रायपुर (छ.ग.)

14.	इस वित्तीय वर्ष के लिए विपणन संघ की अगर किसी अन्य निविदा में भाग लिया हो तो उसका विवरण	
15.	पूर्व वर्षो में अगर विपणन संघ का कोई कार्य किया गया हो तो उसका विवरण	
16.	मेरी/हमारी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि विपणन संघ के परिवहन निविदा अंतर्गत राजसात की गई है (हां तो विवरण दें)	
17.	बैंक स्टेटमेंट 01.04.2013 से 28.02.2014 तक।	
18.	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	

2. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई निविदा परिशिष्ट दो की कंडिका 7.9 में वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं/बाध्य रहेगें/रहूँगा/रहूँगी।

3. यदि विपणन संघ द्वारा हमें/मुझे रासायनिक खाद के परिवहन कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिये सहमत है/हूँ

4. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते है/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....
स्थान .....

हस्ताक्षर.....
नाम .....
फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर .....

नोट : इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टी अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

सरल क्रमांक.....

भाग – "ख"

(वित्तीय लिफाफा हेतु)

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

880, सिविल लाईन्स मुख्यालय, रायपुर (छ0ग0)

निविदा

रसायनिक खाद के परिवहन कार्य हेतु निविदा फार्म वर्ष 2014–15

1. **कार्यालय का नाम जिसके लिए निविदा दिया जा रहा है।** .....
2. **रेक प्वाइन्ट का नाम जिसके लिए निविदा भरी जा रही है।** .....
3. **परिवहनकर्ता का नाम, पूरा पता ई–मेल, दूरभाष नंबर** .....
   .....
4. अमानत राशि का विवरण
   राशि .....
   ड्राफ्ट नंबर.....
   दिनांक .....
   बैंक का नाम.....
5. उपरोक्त परिवहनकर्ता परिवहन टेंडर के संदर्भ में मेरे/हमारे द्वारा परिवहन हेतु निम्नानुसार दरें दी जाती हैं। दरें रसायनिक खाद के परिवहन हेतु प्रति टन, प्रति कि.मी. (लोडिंग/अनलोडिंग सहित) होगी साथ ही लोडिंग/अनलोडिंग दरें अलग से दर्शित है।
6. उपरोक्त दर आपकी निविदा शर्ते की समस्त कंडिकाओं को मान्य करते हुए दी गई है। कार्यादेश प्राप्त होते ही तीव्रता से परिवहन कर सकूँगा एवं आवश्कतानुसार बाहर से भी ट्रकें उपलब्ध कराकर कार्य समय–सीमा में संपन्न कर सकूंगा। यदि कार्य लिखित एवं मौखिक की सूचना मिलने पर समय सीमा के भीतर परिवहन का कार्य नहीं करता हूँ तो विपणन संघ नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। जिसमें आने वाले अतिरिक्त व्यय के लिये मैं स्वतः जवाबदार रहूँगा।
7. उपरोक्त निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक, विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

हस्ताक्षर

(निविदाकार)

संलग्न .....
दिनांक .....
स्थान .....

छ.ग. राज्य सह. विपणन संघ मर्या. रायपुर (छ.ग.)

सील

.....2

निविदाकार का परिचय, संक्षिप्त विवरण भरकर वित्तीय लिफाफा में डालकर जमा करें

प्रेषक,

.....(परिवहकनकर्ता का नाम)

.....(पूर्ण पता)

पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकायें

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
रायपुर

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा वांछित रेक प्वाइन्ट भंडारण केन्द्र से रासायनिक खाद के परिवहन कार्य हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने जिला कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म क्रय किया है, हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशो/निविदा/संविदा शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत है/ हूँ।

2. हम जिला ..... के रेक प्वाइन्ट भंडारण केन्द्र से विपणन संघ के अन्य भंडारण केन्द्र अथवा प्रतिनिधि द्वारा बताये गये अनुसार अन्य स्थलों पर परिवहन कार्य निम्नानुसार लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन दरों में करना स्वीकार करते हैं/करता हूँ।
जिले का नाम ..... रेक प्वाईन्ट संग्रहण केन्द्र का नाम .....

परिवहन की दरें (लोडिंग/अनलोडिंग सहित) :–

सेवा कार्य का विवरण		
क्र	**दूरी कि.मी. में**	**रासायनिक खाद परिवहन दर (लोडिंग/अनलोडिंग सहित) प्रति टन प्रति कि.मी.**
1	0 से 8 कि.मी. लोकल प्रति 10 टन हेतु	
2	0 से 25 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
3	0 से 50 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
4	0 से 75 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
5	0 से 100 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
6	0 से 200 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
7	0 से 300 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
8	0 से 400 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
9	400 से अधिक कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी. दूरी हेतु	

उपरोक्त दरों में लोडिंग/अनलोडिंग की राशि ..... रूपये प्रति टन सम्मिलित है।

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

3. इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक ..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय सिविल लाईन्स, रायपुर में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया है, की ओर से पक्ष 01 जिला विपणन अधिकारी ..... अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा पक्ष 02 मेसर्स ..... की ओर से श्री ..... वल्द ..... जिला ..... के निवासी है, जिसे कि आगे परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के ..... केन्द्र से वर्ष 2014–15 में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक की अवधि को मेसर्स ..... जिला विपणन अधिकारी ..... को इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों एवं शर्तो पर स्वीकार किया गया है।

यह कि परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के रेक प्वाईन्ट भंडारण केन्द्र से अन्य भंडारण केन्द्र तक पहुंचाने का कार्य हेतु निम्नानुसार दर्शायी गयी दरों पर किया जावेगा और मैं/हम यह कार्य विपणन संघ की शर्तो पर करने के लिए पक्ष 02 पूर्ण सहमत है।

सेवा कार्य का विवरण		
क्र	दूरी कि.मी. में	रासायनिक खाद परिवहन दर (लोडिंग/अनलोडिंग सहित) प्रति टन प्रति कि.मी.
1	0 से 8 कि.मी. लोकल प्रति 10 टन हेतु	
2	0 से 25 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
3	0 से 50 कि.मी. प्रति टन प्रति. कि.मी.	
4	0 से 75 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
5	0 से 100 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
6	0 से 200 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
7	0 से 300 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
8	0 से 400 कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी.	
9	400 से अधिक कि.मी. प्रति टन प्रति कि.मी. दूरी	

उपरोक्त दरों में लोडिंग/अनलोडिंग की राशि ..... रूपये प्रति टन सम्मिलित है।

1. इस इकरारनामा के साथ अनुसूचित बैंक ..... (बैंक का नाम) शाखा, ... से राशि रूपये ..... की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है और पक्ष 02 को यह ज्ञात हो कि इस पर कोई ब्याज देय नहीं है।

.....2

2. पक्ष 02 को संघ जिला कार्यालय/इकाई या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की मौखिक या लिखित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रासायनिक खाद परिवहन संबंधित भंडारण केन्द्रों से करनी होगी, इसके लिए आवश्यकतानुसार ट्रक मजदूर हमाल की व्यवस्था परिवहनकर्ता की होगी। परिवहन में हुए विलंब के कारण होने वाले डेमेज/नुकसान की संपूर्ण जावबदारी परिवहनकर्ता की होगी। समय पर ट्रक एवं मजदूर नहीं लगने पर पक्ष 01 को अधिकार होगा कि बाजार से ट्रक मजदूर का कार्य किसी भी दर पर कार्य करा लेवें। यदि स्वीकृत से अधिक दर पर भुगतान करना पड़ता है तो अधिक दर के कारण हुई हानि (क्षति) की भरपाई पक्ष 02 तीन दिवस के अंदर नगद जमा करेगा, अन्यथा पक्ष 01 को अधिकार होगा कि, वह परिवहनकर्ता के परिवहन बिलों से कटौती करें अथवा उसकी जमा अमानत की राशि से इस राशि को वसूल करें।

3. ट्रक के साथ खाद के लिए आवश्यक संख्या में हमालों एवं मजदूरों के प्रावधान (व्यवस्था) करने की जिम्मेदारी पक्ष 02 को होगी, हमालों का भुगतान पक्ष 02 द्वारा किया जायेगा। पक्ष 01 किसी भी प्रकार का हमाली भुगतान नहीं करेगा।

4. परिवहनकर्ता द्वारा केवल वही ट्रक खाद ढुलाई हेतु लगायें जावेगें जो सही और अच्छी हालत में हो तथा आर.टी.ओ. से फिटनेश सहित समस्त वैधानिक पूर्ति पक्ष 02 का उत्तरदायित्व रहेगा।

5. यदि पक्ष 02 के द्वारा उसके मूल ट्रक में परिवहन के लिए लोड किया गया पक्ष 01 का स्कंध समय के अंदर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है या सही हालत में नहीं पहुंचता है, अथवा अन्य प्रकार की हानि होती है वह हानि पक्ष 02 द्वारा पक्ष 01 को तीन दिवस के अंदर देय होगी। पक्ष 01 को यह अधिकार होगा कि वह हानि की राशि की वसूली अमानत राशि/सुरक्षानिधि की राशि में से अथवा पक्ष 02 को लंबित बिलों से अथवा पक्ष 02 को उक्त हानि की राशि पक्ष 01 में जमा करना अनिवार्य होगा। लोडेड ट्रक का इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी।

6. पक्ष 01 द्वारा पक्ष 02 को प्रदत्त स्कंध पक्ष 01 द्वारा निर्धारित स्थान एवं अधिकृत प्रतिनिधि को ही पक्ष 02 द्वारा देना होगा और सील व हस्ताक्षर सहित पावती लेनी होगी।

7. पक्ष 02 के द्वारा भंडारण केन्द्र से स्कंध उसके ट्रक से लोड कर दिये जाने के पश्चात् मार्ग में कहीं भी उतारा नहीं जावेगा। स्कंध की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष क्रमांक 02 पर होगी।

8. परिवहन के दौरान किसी भी कमी या क्षति हेतु पक्ष 02 ही उत्तरदायी होगा और उसकी अमानत राशि या देय परिवहन देयकों से यह राशि पक्ष 01 वसूल कर लेगा।

.....3

9. ढुलायी के लिए लगाये गये ट्रक सभी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सही हालत में होना चाहिए। उसकी बीमा होना चाहिए और ट्रक पब्लिक कैरियर लाईसेन्स होना एवं रोड टैक्स, गुड्स टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि पटाये जाने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। यदि मोटर व्हीकल एक्ट की परिवहन अथवा मोटर संबंधित किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन होता है तो ट्रक परिवहनकर्ता मालिक एवं ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, साथ ही स्कंध के लोड के लिए माल की हानि होती है या उसके गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में विलंब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी।

10. पक्ष 02 को परिवहन बिल प्रति सप्ताह प्रस्तुत करना होगा। स्कंध डिलेव्हरी देने के प्रमाण के रूप में जो केन्द्र जहां माल भेजा गया हो, पर नियुक्त पक्ष 01 के अधिकृत अभिकर्ता गोदाम कीपर या कोई अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया प्रमाण पावती ही बिल के साथ संलग्न करके देना होगा। जो पक्ष 02 स्कंध गन्तव्य स्थान पहुंचा देने के पश्चात् वहां के कोई अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर लावेगा। इस डिलेव्हरी मेमो पर स्कंध सुरक्षित हालत में डिलेव्हरी कर देने का प्रमाण भी अंकित किया जावेगा, यह पावती प्राप्ति की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। भुगतान पक्ष 01 से संबंधित जिला कार्यालय द्वारा बिल प्रस्तुती पर परीक्षण कर किया जाएगा।

11. पक्ष 02 को सौंपे गये स्कंध का परिवहन न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से ही करेगा, अत्यावश्यक परिस्थिति में स्कंध का परिवहन अन्य मार्ग से वह तभी कर सकता है जबकि इस हेतु उसने पक्ष 01 से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।

12. यह इकरारनामा दिनांक 31.03.2015 तक वैध रहेगा। इस अवधि मे कार्य नहीं होता अथवा नये निविदा नहीं होता, तो वर्तमान इकरारनामा की अवधि को अधिकतम चार माह हेतु आपसी समझौता से आगे बढ़ाई जा सकती है।

13. पक्ष 02 अमानत राशि के अतिरिक्त इस इकरारनामा के साथ निर्धारित सुरक्षानिधि जमा कर रहा है।

14. परिवहनकर्ता द्वारा जो ट्रक परिवहन कार्य में लगाये जावेगें उसकी सूची उसी दिन जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा।

15. सभी विवादों और इकरारनामा से वांछित किसी भी शर्तो के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा

.....4

16. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तो तथा संबंधित दस्तावेज इस अनुबंध के अंग है।

आज दिनांक ..... को इकरारनामा में हस्ताक्षर किये।

गवाह :–

1. नाम .....
पता.....
.....
हस्ताक्षर .....

पक्ष 01 छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर से

2. नाम .....
पता.....
.....
हस्ताक्षर .....

पक्ष 02 परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

